इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 233] भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 जून 2016—ज्येष्ठ 16, शक 1938

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2016

क्र. एफ 1-57-स्था.-प्र.रा.आ.-2016-8.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला दतिया** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है:—

स. क्र. (1)	राजस्व निरीक्षक का नाम (2)
1	श्री भगवतीशरण शिल्पकार

2. **शर्तें.**—1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे. यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा.

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे.

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है.

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है. इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा.

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी.

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी.

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश जारी कर सकेगी.

क्र. एफ 1-57-स्था.-प्र.रा.आ.-2016-24.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला राजगढ़** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है:—

स. क्र. (1)	राजस्व निरीक्षक का नाम (2)
1	श्री नीलेश मिश्रा

2. **शर्तें.**—1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे. यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा.

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे.

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है.

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है. इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा.

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी.

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी.

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश जारी कर सकेगी.

क्र. एफ 1-57-स्था.-प्र.रा.आ.-2016-24.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला राजगढ़** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की अधिसूचना दिनांक 12 मई 2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियां तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं:—

स. क्र. (1)	राजस्व निरीक्षक का नाम (2)
1	श्री कृष्णपाल सिंह बरकडे

क्र. एफ 1-57-स्था.-प्र.रा.आ.-2016-26.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला बैतूल** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है:—

स. क्र. (1)	राजस्व निरीक्षक का नाम (2)
1	श्री बाबूराव देशमुख
2	श्री भीमराव पोटफोडे
3	श्री जमुर्रद अजीज खान
4	श्री धुन्धु सिंह पटेल
5	श्री अशोक कुमार राठौर
6	श्री आशिक अली
7	श्री अरविन्द कुमार सोनी
8	श्री गिरवरदास पाटिल
9	श्री तीरथलाल इरपाची
10	श्री राजेश कुमरे
11	श्री सुखराम सिरसाम

2. **शर्तें.**—1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे. यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा.

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे.

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है.

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है. इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा.

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे

निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वत: समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी.

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी.

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश जारी कर सकेगी.

क्र. एफ 1-57-स्था.-प्र.रा.आ.-2016-49.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला देवास** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है:—

स. क्र. (1)	राजस्व निरीक्षक का नाम (2)
1	श्री लीलाधर पटेल
2	श्री विनोद पटेल
3	श्री राधाराम कुशवाह
4	श्री राजभान सिंह कुशवाह
5	श्री दरियावसिंह भुर्रा
6	श्री मोहनलाल गोयल
7	श्री मनोज कुमार शर्मा
8	श्री योगेन्द्र तिवारी
9	श्री धन्नालाल अंसल

2. **शर्तें.**—1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे. यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा.

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे.

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है.

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है. इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा.

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वत: समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी.

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी.

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश जारी कर सकेगी.

क्र. एफ 1-57-स्था.-प्र.रा.आ.-2016-50.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला इन्दौर** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है:—

स. क्र. (1)	राजस्व निरीक्षक का नाम (2)
1	श्री नंदकिशोर मालवीय
2	श्री जगन्नाथ सोलंकी
3	श्री मनीराम पटेल
4	श्री चन्द्रशेखर जोशी
5	श्री राहुल गायकवाड़
6	श्री श्रीकांत तिवारी
7	श्री मनीष बिरथरे
8	श्री योगेन्द्र सिंह राठौर
9	श्री पंकज यादव

2. **शर्तें**.—1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे. यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा.

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे.

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है.

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है. इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा.

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी.

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी.

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश जारी कर सकेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं पदेन सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.